

यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मशाल संख्या:- 1023/21

निर्णय दिनांक :- 24/11/21

उनवानी प्रार्थना पत्र :

रामलाल

बनाम तहसीलदार 31

उपस्थिति :-

प्रार्थी

तहसीलदार 28

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

प्रार्थी रामलाल सत्यनारायण शंकरालु निवासी मुगलाना प्रशासन गांवो

के संघ 2021 कैम्प/ न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मुगलाना

जमाबंदी सम्वत् 2071-74 (2017) के खाता संख्या 108 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामलाल

सत्यनारायण शंकरालु चाक के स्थान पर रामलाल सत्यनारायण शंकरालु नाई

दुरुस्त राजस्व रिकॉर्ड करवाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली

पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रकरण की जांच तहसीलदार उनी से

कराई गई। तहसीलदार उनी ने पटवार हल्का मुगलाना व भू0अ0नि0 घा.पु की

रिपोर्ट सहित प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त इन्द्राज करने की अभिशंभा की।

प्रार्थी उपस्थित हुआ। मजमेआम में प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बंध में जानकारी ली

गई। तहसीलदार उनी से प्राप्त पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन

किया गया, जिसमें प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का

स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्रुप -6 विभाग, राजस्थान जयपुरं के परिपत्र क्रमांक:-

4(1)राज-6/2002/19 के तहत तहसीलदार उनी को वाके ग्राम मुगलाना जमाबंदी

सम्वत् 2071 के खाता संख्या 108 में दर्ज रामलाल सत्यनारायण शंकरालु चाक

के स्थान पर रामलाल सत्यनारायण शंकरालु नाई

दुरुस्त राजस्व अभिलेख करने हेतु अनुमत किया जाता है। निर्णय/आदेश की छाया प्रति

तहसीलदार उनी को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

दाखिल क्तर हो।

निर्णय खुले सरे इजलास, कैम्प देवली में सुनाया गया।

B. D. G.

उपखण्ड अधिकारी
देवली